न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.

रिविजन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या– 15/2017

1. अली मोहम्मद पुत्र श्री हबीब खां जाति अराई मुसलमान निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

बनाम

– अपीलान्ट(प्रार्थी)

1. हाकम अली पुत्र शाह मोहम्मद जाति अराई मुसलमान निवासी वार्ड संख्या 9 ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडेन्टस्(अप्रार्थीगण)

उपस्थितः– श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता प्रार्थी।

श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांकः– 08/06/2023

प्रार्थी अली मोहम्मद पुत्र श्री हबीब खां जाति अराई मुसलमान निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ने रिविजन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पचांयती राज अधिनियम सन् 1994 प्रस्तुत की है जिसके संक्षेप मे तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अपीलान्ट को ग्राम पंचायत भूकरका से दिनांक 18.5.1990 को 76 गुणा 33.5 फुट क्षेत्र का पट्टा शुद्वा भूखण्ड किमतन जरिये पंचायत संकल्प दिनांक 17.03.1990 के अनुसार दिया गया था। उक्त भूखण्ड को अपीलान्ट का 60–70 वर्षो से अधिक समय से निर्बाध व निर्विधन रूप से उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। उक्त भूखण्ड 76 गुणा 33.5 फुट क्षेत्र में से 44 गुणा 33 फुट क्षेत्र की जगह में अपीलान्ट ने अपनी रिहाईश बना रखी है व शेष भूखण्ड का उपयोग, जो कि खाली पड़ा है, उसमें वृक्ष व अपने पशुधन, जलाऊ लकड़ी, गोबर इत्यादि रखता है, जिसका उपयोग वह लगभग 70 वर्षो से निरन्तर व वर्तमान तक करता चला आ रहा है। चित्र प्रति भूखण्ड का पट्टा व मौका नक्शा सलंग्न पत्रावली है।
2. रिविजन में जिसे रेस्पोडेन्टस सं0 1 बनाया गया है, वह बहुत चालाक, चतुर, राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है, ने एक अपील राज. पंचायत राज अधिनियम सन 1994 के तहत पंचायत समिति नोहर की प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति के समक्ष प्रस्तुत की जिसके पैरा सं0 1 में आसा पासा दर्शाया गया कि अपीलान्ट के प्रश्नगत भूखण्ड के उतर में पालाराम, दक्षिण में 15 फुट गली पूर्व में आमीन खां, पश्चिम में गनी मोहम्मद आराई है।

08/6/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

3. ग्रांम पंचायत भूकरका द्वारा जारी पट्टा जिसके बारे रिविजन के पैरा सं0 1 में तथ्य वर्णित है, अपीलान्ट के निरन्तर उपयोग व उपभोग में चला आ रहा है व उसके दक्षिण हिस्से में या मध्य से कभी भी सार्वजनिक पगडंडी या रास्ता नहीं रहा है। अपीलान्ट स्वंय उपयोग जैसे पशुधन, लकड़ी आदि के लिए छोड़ रखा है, जो कतई विधि विरूद्व या पटटा खारिजी के लिए आधार नही है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त भूखण्ड का पट्टा पंचायत एक्ट के नियमों को ध्यान में रखकर जारी किया गया है, जो विधि के अनुसार सही है।
4. रेस्पोडेन्टस सं0 1 ने उक्त अपील में अपने राजैतिक प्रभाव का उपयोग किया है व स्टेडिंग कमेटी से दुःरभि संधि कर उक्त निर्णय अपीलान्ट के खिलाफ पारित करवाया गया है, जो काबिल खारिजी है।
5. रेस्पोडेन्टस सं0 1 ने पंचायत स्टेडिंग कमेटी के समक्ष वर्णित कथन असत्य, निराधार, मनगढ़त दर्ज किये है एवं वास्तविक तथ्य इस प्रकार से है कि–

(क) अपीलान्ट का मकान ग्राम पंचायत भूकरका से जारी पट्टा सं0 11 मि.स. 100 तस्दीक दिनांक 01.03.1987 मे वर्णित भूखण्ड पर निर्माण करवाया जाकर रिहायश करता है व इसमें से 33 गुणा 32 फुट भूमि वास्ते घरेलु उपयोग खाली रख ली व अपीलान्ट के पक्ष में ग्राम पंचायत रामसरा से जारी एवं अन्य पटटा था। अपीलान्ट अपने पशु बाधने, इधन डालने व गोबर थापने के उपयोग में ले रहा है वर्तमान में मौजूदा गली जहाँ आज से लगभग 27 वर्ष पूर्व से चालू गली के अनुसार चालू है। यहाँ पर स्पष्ट करना न्यायोचित होगा कि पूर्व में इस गली के सम्बध में हनीफ पुत्र मेहरदीन ने शाह मोहम्मद पुत्र इसेखां के विरूद्व व नूर इलाही पत्नी इस्माईल, शान मोहम्मद, पुत्र हबीब खां आदि के विरूद्ध दिनांक 10.12.1991 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश नोहर के समक्ष वाद सं0 217/91 पेश किया था, जिसमें न्यायालय के द्वारा कमीशनर अधिकृत किया गया व रिर्पोट मंगवाई गई थी। वाद का निस्तारण जरिये राजीनामा दिनांक 27.09.97 को हुआ वाद पत्र रिपोर्ट कमीश्नर मय नक्शा व राजीनामा की प्रतियां सलंग्न रिविजन पत्रावली है।

निम्न आधारो पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायहित है–

(1) यह कि अपीलान्ट के पक्ष में ग्रामं पचायत भूकरका द्वारा जारी पटटा सं0 11 मि0सं0 100 जारी दिनांक 18.5.90 साईज 33–1/2 गुणा 76 फुट जिसमे अपीलान्ट ने अपनी रिहायश बना रखी है जिसका निजी उपयोग व उपभोग वह निरन्तर 60–70 वर्षा से करता आ रहा है। अतः रिविजन स्वीकार योग्य है।

(2) यह कि उक्त वर्णित भूखण्ड का उपयोग वर्षो से अपीलान्ट ने निजी उपयोग के लिए किया इस प्लॉट के बीच से कोई आम गली/रास्ता या पगडंडी रही ही नही है।

(3) यह कि पंचायत समिति नोहर के समक्ष रेस्पो0 सं0 1 ने जो अपील की है, वह कतई असत्य, निराधार पेश की है व अपने राजनैतिक प्रभाव का लाभ उठाकर उसमें उक्त फैसला अपने पक्ष में करवा लिया जबकि अपीलान्ट एक गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है। अतः उक्त निर्णय खारिजि है।

(4) यह कि स्टेडिंग कमेटी ने निर्णय व जांच में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो का उल्लंधन किया है। न तो कमेटी ने मौका मुआवना व मौका स्थल पर जाकर किया और ना ही कोई इस सम्बध में हाजिर रहने का नोटिस जारी किया। इस सम्बध में कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी और ना ही कार्यवाही में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्व है।

08/6/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(5) उक्त वर्णित भूखण्ड के दक्षिण में 15 फिट चिपती हुई गली आम है, जिसको अपीलान्ट ने राजीनामा, जो कि बअनवानी हनीफ बनाम अब्दुल गफुर न्यायालय सिविल न्यायाधीश नोहर वाद सं0 217/91 में हुऐ राजीनामा के आधार पर दिया गया एंव वह राजीनामा, जो न्यायालय में पेश हुआ, से पूर्व की पंचायती में जिसमें रेस्पो0 भी उपस्थित था, ने अपनी मौखिक सहमति दी थी। उसके उपरान्त ही उक्त राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री गया था।

(6) रेस्पों0 सं0 1 का मकान अपीलान्ट के दक्षिण में सामने की तरफ है जिसमें आवागमन के लिए 3 गलियां लगती है जिससे आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न नही होती है। इस बात से यह साबित है कि पूर्व मौखिक राजीनामा में सहमति होने पर रजिंश वंश अपने लालचवश राजनैतिक प्रभाव से रेस्पो0 सं0 1 ने पंचायत समिति में अपील पेश की व दुःरभि संधि कर फैसला अपने पक्ष में करवा लिया, जो कतई गलत व विधि विरूद्व व काबिल खारीजी है।

(7) पंचायत समिति नोहर के समक्ष प्रस्तुत अपील पटटा जारी होने के लगभग 27 वर्ष बाद पेश की गई थी, जो विधि अनुसार नही मानी जा सकती है। उक्त अपील मे प्रार्थी को Limitation Act. पर भी नही सुना गया है। अतः अधीनस्थ स्टेडिंग कमेटी पंचायत समिति नोहर का दिनांक 13.7.2017 में प्रस्ताव 3 (III) द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने की वजह से खारिज योग्य है ।

अतः रिविजन अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि उक्त रिविजन अपीलान्ट बखिलाफ रेस्पोडेन्टस सं0 1 ता 3 के खिलाफ डिक्री इस कदर की सादिर फरमाई जावे।

रिविजन पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से श्री राजपाल झोरड़ एडवोकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–2, 3 की नोटिस बाद तामिल प्राप्त। अधीनस्थ न्यायालय को रिकार्ड तलब किया गया। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री हरिसिंह सिहाग ने अपनी बहस में कथन किया कि मेरे पट्टा दिनांक 18.05.1990 के विरूद्ध 27 वर्ष बाद अपील पेश की गई, कि मेरा पट्टा गली की जगह में है और 44 X 33 साईज का पट्टा खारिज किया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 61 के तहत जारी आदेश/निर्देश के विरूद्ध 30 दिवस के भीतर अपील कर सकेगा। पंचायत का आदेश/निर्देश पंचायत की अपील पट्टा जारी करनें के विरूद्ध पट्टा जारी करनें की प्रक्रिया में एक मीटिंग में आवेदन तथा दुसरी मीटिंग में कमेटी का गठन होता है और इसके पश्चात अनापति नोटिस जारी होती है। तत्पश्चात निर्णय होता है कि पट्टा जारी हो या नहीं। प्रस्ताव संख्या–3 दिनांक 17.03.1990 में पंचायत का निर्णय या आदेश हुआ है फिर कीमत जमा होती है और प्रस्ताव की अनुपालना में पट्टा जारी होता है। पंचायत का आदेश तो आज भी कायम है, तो पट्टा खारिज करनें का क्या औचित्य है। आदेश जो पंचायत समिति द्वारा जारी किया गया उसमे केवल पट्टा खारिज हुआ न कि मूल आदेश। मुझे नोटिस मिला और मैनें जवाब पेश कर दिया। प्रस्तुत अपील म्याद में भी नहीं है। आदेश जारी होनें के 30 दिन बाद अपील पेश करनें पर म्याद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना–पत्र पेश करना होता है। अधीनस्थ न्यायालय में म्याद के बिंदु को छुआ तक ही नहीं। सरपंच के पास नक्शा होता है। तभी पश्चात का संकल्प होता है। पंचायत समिति ने केवल पट्टे पर निर्णय दिया है। यह अपील म्याद के बिन्दु पर खारिज होनी थी। मौका रिपोर्ट के अनुसार भी कहीं गली नहीं रूकती है। मेरा पट्टा गली में नहीं है केवल रंजिशवश खारिज किया गया। इस गली का सिविल न्यायालय में भी मामला चला, जिसमें राजीनामा के आधार

08/6/23

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पर निर्णय हुआ। पंचायत के आदेश की अपील नहीं हुई परन्तु पट्टे को खारिज किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर पंचायत समिति का आदेश खारिज किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उतरी जगह पर निर्माण है, शेष जगह खाली है। रिपोर्ट स्वंय अपीलांट से चाही गई है। सिविल कोर्ट में वाद चला, वहां ये पक्षकार नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय ने जो 32 फुट का पट्टा खारिज किया है, वह सही है।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अदालत ने जिस नाप का मौका निरीक्षण किया वह नाप मौका रिपोर्ट में नहीं आया।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया। अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखनें से ज्ञात होता है कि उनके द्वारा निर्णय में 'मौका नक्शा' के अवलोकन का जिक्र किया गया है और उसी आधार पर निर्णय किया गया है। परन्तु मौका निरीक्षण हेतू कमेट गठन आदेश, मौका निरीक्षण हेतू पक्षकारों को सूचना का नोटिस एंव मौका फर्द, कुछ भी पत्रावली में संलग्न नहीं है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी अपनी अपील में नक्शा संलग्न है जिस पर अपीलांट(अधीनस्थ न्यायालय) के हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखनें से ज्ञात होता है कि उनके द्वारा एक ही तिथि में समस्त कार्यवाही कर ली गई है क्योंकि एक दिन की ही आदेशिका संलग्न है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया को बाधित किया है और पूर्ण सुनवाई का अवसर रेस्पोडेन्ट को नहीं दिया है। केवल मात्र अपील पेश हो जाने से अधीनस्थ अदालत को गुणावगुण पर निर्णय नहीं करना चाहिए। दिनांक 18.05.1990 को जारी पट्टे को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रश्नगत किया गया जबकि पट्टा इस अधिनियम से पूर्व का है। अतः भूतलक्षी प्रभाव से पट्टे को प्रश्नगत किया गया एंव खारिज भी किया गया।

इस प्रकार समस्त विश्लेषण से इस न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली की सुनवाई में व्यापक विधिक भूल की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.2017 को खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का तलब शुदा रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाया जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर् हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर दिनांक 08.06.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

08/6/2023

(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)